न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– करतारसिंह पूनियाँ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2010/00168 (154/2010) 75 एलआरएक्ट

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़

– अपीलान्ट

बनाम

गुरबक्श सिंह वल्द बिशन सिंह जाति कम्बोज सिख सा0 तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्व निर्णय उपखण्डाधिकारी टिब्बी, दिनांक 28.05.2010
प्रकरण संख्या 104/2009 बआनवानी गुरबक्श सिंह बनाम सरकार

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया, राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।
श्री अशोक कुमार छोडा अभिभाषक रेस्पो

निर्णय दिनांक – 31.05.22

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट ने उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष कस्टोडियन रकबे की सनद् जारी करने बाबत शीर्षक से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए चक 3 टीएलडब्ल्यू के प0 नं0 238/288 के किला नं0 28 की कुल 0.253 है0 भूमि को आवंटी हजारा सिंह जाति कम्बोज सिख से जरिये बैनामा क्रय करना करते हुए उक्त भूमि की सनद जारी किये जाने हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:42:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलाधीन आदेश द्वारा नियमन आदेश जारी कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के बिन्दुओं के दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेण्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत भूमि को नियमन करवाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भूमि को मूल आवंटी से खरीद करना बताया है परन्तु भूमि से सम्बन्धित आवंटन आदेश ही अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे मूल आवंटी द्वारा भूमि का बेचान किया जाना सिद्ध नहीं था इसलिए प्रश्नगत भूमि का किसी सूरत में नियमन नहीं किया जा सकता था आदेश इसी आधार पर काबिल निरस्ती है। मूल आवंटी द्वारा आवंटन की यदि कोई राशि बकाया थी तो वह खजाना राज जमा करवाई गई या नहीं इस तथ्य की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुई ना ही मूल आवंटन पत्रावली ही तलब की गई है। प्रश्नगत भूमि पर कब्जा कास्त बाबत स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुऐ थे एवं विक्रय विलेख भी सिद्ध नहीं था जिससे भूमि का हस्तान्तरण सिद्ध नहीं था इन तथ्यों पर किसी प्रकार का कोई विचार ना कर अपीलाधीन निर्णय रेस्पोडन्ट के हक में गलत रूप से नियमन किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने मियाद बिन्दु पर कथन किया कि माननीय जिला कलक्टर कार्यालय से विधि परीक्षण के बाद पत्र प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर राजकीय अधिवक्ता से राय कर अपील प्रस्तुत की गई है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। [illegible] अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. रेस्पोडेण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने [illegible] बहस में कथन किया जितनी राशि बनती थी, उसका चालान जमा करवाया गया है। मार्केट रेट की 25 प्रतिशत

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:42:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राशि राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ9 (79)रेव–6 / 2011 / 32 / जी.एस.आर.सो. दिसम्बर 01, 2011 द्वारा समाप्त कर दी गई है। कोई बकाया नहीं है। तर्क दिया कि विज्ञप्ति आपत्ति हेतु प्रकाशित है किन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। स्वत्व एवं कब्जे के बारे में अर्थात हक एवं कब्जा काश्त के बारे में कोई विवाद नहीं है। किसी ने आपत्ति इसी कारण प्रस्तुत नहीं की। आवंटी एवं उसकी वारिसान से प्रश्नगत रकबा खरीद किया गया है। आवंटन आदेश प्रश्नगत नहीं था अपितु आवंटन से जमाबन्दी में दर्ज भूमि नियम 5 (क) के अनुसार शास्ति जमा होने पर नियमन की जानी थी।

5. अपील देरी से प्रस्तुत करने का कोई समुचित पर्याप्त विश्वसनीय कारण स्पष्ट अंकित नहीं किया है। नियमन कमेटी में रखकर कमेटी की राय से हुआ है। कमेटी का तहसीलदार सदस्य है। जिनके हस्ताक्षर कमेटी की बैठक में नियमन सिफारिश के साथ अंकित है। कमेटी में सरपंच सदस्य है जो कि कब्जे की एवं काश्त की तथा विक्रय होने की स्थानीय जानकारी रखते है। सरपंच जनप्रतिनिधि होते है। इस कारण उनकी उपस्थिति में हुआ निर्णय केवल अधिकारियों की सिफारिश के आधार पर हुआ निर्णय नहीं कहा जा सकता है। जनप्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से राय रखने और निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. पत्रावली का अवलोकन किया एवम् उभयपक्ष की बहस पर मनन किया ।

7. पत्रावली का गुणावगु[illegible] श्रेयष्कर होना दृष्टिगत रख मियाद अधिनिय[illegible] होने तथा उसका खण्डन प्रस्तुत नहीं होना दृ[illegible] कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जा[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:42:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

8. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है मुताबिक जमाबन्दी संवत 2065 से 68 चक 3 टीएलडब्ल्यू के प0 नं0 238/288 के किला नं0 23 की कुल 0.253 है0 आवंटी हजारा सिंह जाति कम्बोज सिख के नाम दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मूल अलॉटी के नाम दर्ज है। रेस्पोडेण्ट सं0 ने प्रश्नगत आराजी को जरिये बेयनामा मूल आवंटी से खरीद की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार बैयनामा के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति नही है। प्रार्थी ने बैयनामा नियमन की परिपत्र दिनांक 06.10.2009 के अनुसार निर्धारित जमा करवा दी है। धारा 42 का उल्लंघन नही पा गया है प्रकरण को आवंटन सलाहाकार समिति के समक्ष रखा गया आवंटन सलाहकार समिति के अनुतोदन उपरान्त प्रश्गनत रकबे के नियमन के आदेश पातिर किये गये हैं। कमेटी के सदस्य के रूप में स्वयं तहसीदार के हस्ताक्षर हैं। अपीलाण्ट ने उक्त तथ्यों के विपरीत अन्य कोई तथ्य पेश नहीं किया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्ण्य में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप किया जा सके। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.05.2010 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 31.5.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:42:01 IST
Reason: SelfAttested

31/5/22
(करतार सिंह पूनिया)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)